



# हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी विकास संघ

(राज्य सहकारी आन्दोलन की शीर्षस्थ संस्था)

## H.P. STATE CO-OPERATIVE DEVELOPMENT FED.

(APEX ORGANISATION OF THE STATE CO-OPERATIVE MOVEMENT)

हिमकोफ़ेड/सी.सी. एम. मशोबरा / 2026 / -169-188

दिनांक:-4.6.2026

सेवा में

सहायक पंजीयक,  
सहकारी सभाएं ( शिमला, जुब्लल, किन्नौर, लाहुलस्पीति, कुल्लू, मण्डी, बिलासपुर,  
सोलन, सिरमौर )

**विषय:** 30वें सहकारी प्रबन्ध पत्रोपाधि पाठ्यचर्या डिप्लोमा कोर्स का आरम्भ।

आपको सहर्ष सूचित किया जाता है कि हिमकोफ़ेड द्वारा संचालित सहकारी प्रबन्ध केन्द्र मशोबरा, जिला शिमला में दिनांक 1 जुलाई, 2026 से 16-सप्ताह अवधि का नियमित सहकारी प्रबन्ध पत्रोपाधि पाठ्यक्रम सत्र आरम्भ हो रहा है। उक्त पाठ्यक्रम की कुल प्रवेश क्षमता 40 प्रशिक्षणार्थी निर्धारित है जिसमें 15 सीटें प्राथमिक, माध्यमिक व शीर्ष संस्थाओं में कार्यरत सचिव, सहायक सचिव, लिपिक, लेखापाल तथा विक्रेता वर्गीय कर्मचारियों के लिए निर्धारित हैं, 15 सीटें सहकारिता विभाग के कर्मचारियों के लिए व 10 सीटें प्राइवेट वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं। उपरोक्त किसी भी वर्ग में प्रशिक्षणार्थियों की खाली बची सीटों की स्थिति में उन्हें दूसरे वर्ग से भरा जा सकता है।

विकास संघ प्रबन्धन द्वारा प्रशिक्षण सत्र के लिए प्रशिक्षणार्थियों के लिए फीस की दरें निम्न प्रकार हैं:-

1. प्राइवेट प्रशिक्षणार्थी	15000/-
2. संस्थागत सहकारी सभाओं के उम्मीदवार	9000/-
3. विभागीय	10000/-
4. उपरोक्त के अतिरिक्त कुछ सीटें तत्काल श्रेणी के लिये आरक्षित है इस श्रेणी की कोर्स फीस 21000/- निर्धारित की गई है।	
5. कम्प्यूटर शुल्क (पूरे सत्र के लिये)	3000/-
6. छात्रावास में रहने वाले विभागीय व सभाओं के प्रशिक्षणार्थियों से पूरे सत्र के लिए बिस्तरों के रख रखाव व सफाई हेतु	1000/-
7. छात्रावास में रहने वाले प्राइवेट प्रशिक्षणार्थी से पूरे सत्र के लिए बिस्तरों के रख रखाव व सफाई हेतु	1500/-
7. प्रतिभूति जो सत्र की समाप्ति पर वापिस की जायेगी	1000/-

प्रशिक्षणार्थियों को फीस पर अतिरिक्त रूप से GST 18 प्रतिशत की दर से वहन करना होगा।


उपरोक्त पत्रोपाधि पाठ्यचर्या का पाठ्यक्रम व विषय राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद् भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ द्वारा अनुमोदित है। प्रशिक्षण के अंतराल में केवल 25 प्रशिक्षणार्थियों को निःशुल्क आवासीय सुविधा दिये जाने का प्रावधान है। प्रशिक्षण के अंतराल में प्रशिक्षणार्थियों को सैद्धान्तिक अध्ययन के अतिरिक्त व्यवहारिक प्रशिक्षण की भी व्यवस्था है जिससे प्रशिक्षणार्थी अपने कार्यक्षेत्र में अपने दैनिक व्यवहारिक कार्यों को पूर्ण कौशलता के साथ निष्पादित कर सकें।

ऐसे उम्मीदवार जो उपरोक्त पाठ्यचर्या में प्रवेश के इच्छुक हैं, अपनी सहकारी सभा की प्रबन्धक समिति का इस संदर्भ में पारित प्रस्ताव सम्बन्धित सहायक पंजीयक सहकारी सभाओं के माध्यम उपरोक्त के दृष्टिगत आपसे विनम्र अनुरोध है कि कृपया आपके वृत्त के अंतर्गत प्रवेश के इच्छुक उम्मीदवारों के नाम इस प्रशिक्षण केन्द्र को उपरोक्त वर्णित तिथि तक प्रेषित करने की कृपा करें तथा प्रवेश पाने वाले उम्मीदवारों को यह भी सूचित कर दिया जाये कि वे अपनी उपस्थिति सहकारी प्रबन्ध केन्द्र मशोबरा में दिनांक 24 जून, 2026 पूर्वाह्न को अवश्य सुनिश्चित करें।

प्रशिक्षणार्थियों के लिये नियम व शर्तें निम्न प्रकार से रहेगी :-

1. प्रवेश प्राप्त उम्मीदवारों की प्रशिक्षण के अन्तराल में यदि कक्षा में 75 प्रतिशत उपस्थिति नहीं होगी तो पत्रोपाधि पाठ्यचर्या की अन्तिम परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
  2. दाखिला मिल जाने के पश्चात् यदि किसी कारण प्रशिक्षणार्थी केन्द्र छोड़कर चला जाता है या उसका नाम काट दिया जाता है तो जमा फीस वापिस नहीं होगी।
  3. अनुशासनहीनता के दोषी प्रशिक्षणार्थी को प्रशिक्षण केन्द्र से निष्कासित किया जा सकता है।
  4. बिना अनुमति के अनुपस्थित रहने पर 7 दिन के पश्चात् केन्द्र से नाम काट दिया जाएगा।
- प्रशिक्षण सत्र से सम्बन्धित अन्य जानकारी प्रधानाचार्य, सहकारी प्रबन्ध केन्द्र मशोबरा के दूरभाष नं. 077-2740217 से प्राप्त की जा सकती है।


धन्यवाद।

भवदीय,  
  
सचिव

हिमकाफ़ैड / सी0 सी0एम / मशोबरा / 2026 / 169-188

दिनांक:-4.6.2026

1. पंजीयक सहकारी सभाए हि0प्र0 से अनुरोध है कि निरीक्षकों की सूची दिनांक 24 जून, 2026 तक प्रधानाचार्य, सहकारी प्रबन्ध केन्द्र मशोबरा, जिला शिमला को प्रेषित करने की कृपा करें।
2. प्रधानाचार्य सहकारी प्रबन्ध केन्द्र व मशोबरा व गरली को सूचनार्थ हेतू प्रस्तुत है।
3. प्रबन्ध निदेशक, समस्त शीर्ष स्तरीय सहकारी संस्थायें हि0 प्र0 को सूचनार्थ।

  
सचिव